छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 647 वर्ष 1990

ओमकार सिंह एवं अन्य
बनाम
मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय

निर्णय हेतु दिनांक 15/12/2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 647 वर्ष 1990

याचिकाकर्तागण 1. ओमकार सिंह, पिता जगमोहन सिंह राजपूत, आयु 34 वर्ष, निवासी पुलगांव, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
(मृत – नाम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2009 से विलोपित)

2. कसामभाई, पिता फतेह मोहम्मद, आयु 32 वर्ष, निवासी गंजपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
(मृत – नाम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2009 से विलोपित)

3. मिश्रीलाल, पिता नारायण प्रसाद शर्मा, आयु 50 वर्ष, निवासी गंजपारा, थाना/तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति :

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शशि भूषण अधिवक्ता के साथ — अपीलार्थी क्रमांक3 की ओर से।

श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप-महाधिवक्ता — राज्य/उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

(दिनांक : 15/12/2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया।

(1) यह अपील दिनांक 18.06.1990 को विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 5/83 में माननीय विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। उक्त निर्णय में, अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/8 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा तीन माह का कठोर कारावास एवं ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी क्रमांक3 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 03 माह का कठोर कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में वैकल्पिक कारावास का प्रावधान रखा गया।

(2) अपील लंबित रहने की अवधि में अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 का निधन हो गया, अतः उनके द्वारा दायर अपील का उपशमन हो गया है तथा उनके नाम अपील के वाद शीर्षक से विलोपित कर दिए गए हैं।

(3) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :

अपीलार्थी क्रमांक 3 मिश्रीलाल, मध्यप्रदेश धान उपपन (उद्ग्रहण) आदेश, 1981 के अंतर्गत एक लाइसेंसधारी व्यापारी थे। वे अपनी फर्म "मिश्रीलाल विजय कुमार, दुर्ग" के माध्यम से अनाज का व्यापार करते थे। अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 24.08.1983 को मिश्रीलाल ने 140 बोरी (105 क्विंटल) धान ट्रक क्रमांक एम. बी. एस. 2577 में भरकर महाराष्ट्र राज्य में भेजने हेतु लोड कराया। अपीलार्थी क्रमांक 1 उक्त ट्रक का चालक था तथा अपीलार्थी क्रमांक 2 उसका स्वामी। इन दोनों अपीलार्थीगण ट्रक को बाग-नदी बैरियर (जो मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित है) तक पहुँचाया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि उक्त धान पर उद्ग्रहण आदेश, 1981 की धारा 3 के अनुसार उद्ग्रहण का भुगतान नहीं किया गया था। अतः अपीलार्थीगण की यह कार्यवाही उक्त आदेश, 1981 का उल्लंघन थी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं 3/8 के अंतर्गत दण्डनीय थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण , विशेष रूप से अपीलार्थी क्रमांक 3 ने यह तर्क किया कि उक्त धान महाराष्ट्र राज्य में निर्यात हेतु नहीं भेजा गया था, बल्कि बालाघाट (मध्यप्रदेश) की एक फर्म को भेजा गया था, जिसके लिए बिल (ठेके पी/2-ए) तथा घोषणा पत्र (ठेके पी/2-बी) तैयार किए गए थे और चालक व ट्रक स्वामी को सौंपे गए थे। चूँकि दुर्ग (म.प्र.) से बालाघाट (म.प्र.) तक जाने वाले मार्ग में महाराष्ट्र राज्य का एक भाग आता है, इसलिए बाग-नदी बैरियर पार करने पर महाराष्ट्र से होकर जाना पड़ता है।

अतः ऐसी स्थिति में यह परिवहन धारा 3/7 या 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता।

विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आग्रह को अस्वीकार कर दिया और यह पाया कि धान मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य में उद्ग्रहण आदेश, 1981 की धारा 3(1) का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं 3/7 एवं 3/8 के तहत दंडनीय है। अतः अपीलार्थीगण को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया गया एवं दंडित किया गया।

(4) श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलार्थी क्र. 3 मिश्रीलाल की ओर से उपस्थित थे, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में स्वयं यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के दुर्ग से बालाघाट तक

जाते हुए मार्ग में महाराष्ट्र राज्य का कुछ हिस्सा आता है, जहां धान भेजा जा रहा था। अतः उपरोक्त उद्ग्रहण आदेश 1981 का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि खेप बालाघाट भेजी जा रही थी। केवल अलग राज्य से होकर अंतिम गंतव्य तक यात्रा करना "निर्यात" या "निर्यात का प्रयास" नहीं माना जाएगा। स्पष्ट रूप से, धान मध्य प्रदेश राज्य में जब्त किया गया था, अतः मामले की परिस्थितियों में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसे महाराष्ट्र राज्य में निर्यात किया जा रहा था।

(5) दूसरी ओर, श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता, जो राज्य की ओर से उपस्थित थे, ने इन तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क ध्यानपूर्वक सुनी और विशेष मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(7) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने संपत्ति अर्थात 105 क्विंटल धान का दावा किया और यह भी स्वीकार किया कि इसे उनके फर्म मिश्रीलाल विजय कुमार, खाद्य अनाज विक्रेता, दुर्ग से लोड किया गया था। उक्त ट्रक, जिसमें धान लदी थी, को बाग-नदी चेकपोस्ट पर जब्त किया गया। दिनांक 25.8.1983 के जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी/2 के अनुसार जप्त किया गया। जप्ती पत्रक से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी क्र. 3 के फर्म का एक बिल, जो अंबिका राइस मिल, बालाघाट (म.प्र.) के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें 105 क्विंटल धान की बिक्री दर्शाई गई थी (प्रदर्श.-पी/2-ए) और एक घोषणा पत्र, जो बिक्री कर अधिनियम के तहत उस लेन-देन का विवरण, वाहन संख्या और अन्य विवरण सहित था (प्रदर्श-पी/2-बी), पुलिस द्वारा उक्त जप्ती पत्रक के अनुसार जब्त किए गए थे। ये दो दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि उक्त धान उनके विवरण के अनुसार बालाघाट भेजी जा रही थी और ये दस्तावेज़ खेप के साथ थे, अतः यह स्थापित होता है कि ये दस्तावेज़ ट्रक बाग-नदी बैरियर पर पकड़े जाने के बाद तैयार नहीं किए गए थे। विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी क्र. 3 द्वारा प्रस्तुत दलील को अस्वीकार कर दिया, जो कि अंबिका राइस मिल, बालाघाट का संचालन कर रहे अभयराज (अ. सा. -6) के साक्ष्य पर आधारित थी। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने जिले के बाहर से कोई धान खरीदने के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने अपीलार्थी क्र. 3 के फर्म के बारे में जानने से भी इंकार किया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने उक्त फर्म से कोई खरीद नहीं की। प्रति परीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया कि अंबिका राइस मिल का ठेके उनके पुत्र के नाम पर लिया गया था। उन्होंने यह सुझाव अस्वीकार किया कि उनके पुत्र ने मदनलाल नामक दलाल के माध्यम से धान खरीदी थी। उनके पुत्र का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से, वह अंबिका राइस मिल, बालाघाट को ठेके पर चला रहे व्यक्ति थे। फर्म के वास्तविक ठेकेदार/मालिक को खरीद की पुष्टि के लिए परीक्षण नहीं करना, और मालिक/ठेकेदार के पिता का परीक्षण करना जो खरीद से इंकार करता है, अभयराज (अ. सा. -6) के साक्ष्य पर संदेह पैदा करता है। मान भी लिया जाए कि अभयराज अपने पुत्र के व्यवसाय के मामलों से परिचित थे, तब भी ऐसे लेन-देन से इंकार करने के कई कारण हो सकते हैं, विशेषकर जब ट्रक और खेप को पुलिस द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध से संबंधित मामले में जब्त किए जाने के संबंध में खरीदार जो उक्त धान खरीद चुका था, उसके मन में हमेशा उस अपराध में आरोपी होने की उचित आशंका होगी। केवल अभयराज (अ. सा. -5) के इंकार के आधार पर लेन-देन को कदापि दुराचारपूर्ण या अवैध नहीं माना जा सकता और पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियों की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।

(8) हल्के प्रसाद तिवारी (अ. सा..-2), जो घटना दिनांक को बैरियर पर पदस्थ वन रक्षक थे, उन्होंने यह बयान दिया कि उस दिन ट्रक की जाँच की थी, जिसमें 140 बोरी धान लदा हुआ था। ट्रक रायपुर (म.प्र.) की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ओर से आया और उसे बैरियर पर रोका गया। उन्होंने कहा कि बैरियर के दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य की सीमा है और बैरियर से लगभग एक फर्लांग (लगभग 1/8 मील) की दूरी पर महाराष्ट्र क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 16 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बाग-नदी से बालाघाट (म.प्र.) जाने के लिए मार्ग में महाराष्ट्र राज्य के कुछ क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक अन्य मार्ग भी है, जिससे होकर बालाघाट (म.प्र.) जाया जा सकता है, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र मार्ग में नहीं आता है। उन्होंने आगे प्रतिपरीक्षण के कंडिका 17 में यह भी कहा कि ट्रक के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जिससे यह सिद्ध हो कि धान बालाघाट (म.प्र.) ले जाया जा रहा था। परंतु उनकी यह बात कि ट्रक में रखे धान के संबंध में कोई दस्तावेज़ नहीं है सही नहीं पाई गई क्योंकि ट्रक में भरे धान और उससे संबंधित दस्तावेज (अनुलग्नक पी/2-ए एवं पी/2-बी) दोनों को पुलिस ने एक ही जप्ति पंचनामा के तहत जब्त किया था।

(9) राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता यह नहीं दिखा सके कि यदि धान बालाघाट (म.प्र.) ले जाया जा रहा था और मार्ग में महाराष्ट्र राज्य का कुछ हिस्सा आता था, तो क्या यह भी उद्ग्रहण आदेश, 1981 का उल्लंघन माना जाएगा। डी.एस.पी. सी.के. त्रिपाठी (अ. सा..-9) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में स्वीकार किया कि नदी पर बने पुल की दूरी बैरियर से लगभग 3 फर्लांग है। पुल के बीच तक का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का है और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्र प्रारंभ होता है।

(10) अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि धान लदी ट्रक, जिसमें संबंधित दस्तावेज थे कि धान बालाघाट (म.प्र.) ले जाई जा रही थी, बैरियर तक गई जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र की सीमा बैरियर से तीन फर्लोंग के बाद शुरू होती है। अपीलार्थीगण ने दावा किया हैं कि वे बालाघाट (म.प्र.) जाने के लिए महाराष्ट्र के कुछ हिस्से से गुजरने वाला मार्ग अपनाना चाहते थे। यदि ट्रक मध्य प्रदेश राज्य में जब्त किया गया और इसे बालाघाट (म.प्र.) ले जाने का आशय था, जैसा अपीलार्थीगण ने दावा किया, तो यह संदेह पैदा करता है कि ट्रक में लदी धान महाराष्ट्र राज्य में निर्यात की जा रही थी। अपीलार्थीगण द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण संभव प्रतीत होता है और उक्त साक्ष्यों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि वास्तव में याचिकाकर्ता धान महाराष्ट्र को निर्यात करने का प्रयास कर रहे थे, विशेषकर जब अभियोजन द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया कि धान का गंतव्य महाराष्ट्र राज्य के किसी विशेष स्थान पर था।

(11) उद्ग्रहण आदेश 1981 की धारा 3 के उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य के बाहर धान का निर्यात या निर्यात का प्रयास नहीं करेगा, जब तक कि कुल निर्यात की जाने वाली मात्रा का 60 प्रतिशत अधिकारी को उद्ग्रहण के रूप में निर्दिष्ट दर पर विक्रय न किया गया हो, जो अनुसूची में निर्धारित है। अनुसूची-II में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार कटौतियों के अध्याधीन होना । अतः उल्लंघन निर्धारित करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। या तो "धान का निर्यात" होना चाहिए या "धान का निर्यात करने का प्रयास" होना चाहिए। इस मामले में स्पष्ट रूप से धान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में जब्त की गई थी। अतः उद्ग्रहण आदेश 1981 की धारा 3(1) के अर्थ में धान का "निर्यात" नहीं हुआ। "निर्यात का प्रयास" भी इस मामले में साबित नहीं हुआ क्योंकि ट्रक में उपलब्ध दो दस्तावेज़ों के आधार पर यह दिखाया गया कि उक्त धान बालाघाट (म.प्र.) ले जाई जा रही थी और अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि खेप का गंतव्य महाराष्ट्र राज्य के किसी विशेष स्थान पर था। केवल अभियोजन द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाने पर दंड नहीं दिया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) विशेष न्यायाधीश ने केवल अभयराज (अ. सा. -6) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण की दलील को अस्वीकार किया। अभयराज के साक्ष्य, ऊपर बताए गए कारणों से, संदिग्ध प्रतीत होते हैं और अपीलार्थीगण द्वारा किए गए दावा के अनुसार, धान को महाराष्ट्र राज्य के कुछ हिस्से से होकर बालाघाट ले जाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।

(13) मलकियात सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1970 एस. सी 713 में, पंजाब धान (निर्यात नियंत्रण) आदेश (1970) के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थीगण की यह क्रिया केवल उनकी तैयारी थी और कानून के अनुसार अपराध करने की तैयारी और उसे करने का प्रयास अलग हैं। तैयारी में योजनाएं बनाना शामिल है। अपराध करने के लिए आवश्यक साधनों या उपायों की व्यवस्था करना। दूसरी ओर अपराध करने का प्रयास तैयारी के बाद अपराध की ओर सीधा कदम उठाने को कहते हैं। किसी व्यक्ति को अपराध करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के लिए यह प्रदर्शित होना चाहिए कि सबसे पहले उसके मन में अपराध करने का आशय था और उसने ऐसा कार्य किया जो दांडिक प्रयास का दोषपूर्ण कार्य बनाता है। दोषपूर्ण कार्य की पर्याप्तता कानून का प्रश्न है, जिसमें कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि अपराध करने के लिए केवल तैयारी करने वाले कार्यों और उन कार्यों के बीच अंतर करना पड़ता है जो अपराध करने के प्रयास के रूप में पर्याप्त निकट हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने का परीक्षण कि अपीलार्थीगण का कार्य प्रयास था या केवल तैयारी, यह है कि किए गए खुले कार्य ऐसे हैं कि यदि अपराधी अपना मन बदल ले और आगे नहीं बढ़े, तो किए गए कार्य पूरी तरह हानिरहित होंगे। उक्त मामले में, पंजाब राज्य में स्थित समोलखा बैरियर पर 75 बोरी धान लदी ट्रक जब्त की गई थी। आरोप था कि उक्त धान दिल्ली ले जाई जा रही थी, जो पंजाब धान आदेश के उल्लंघन में थी। मुकदमे में चालक, जो आरोपी में से एक था, ने स्वीकार किया कि उसे धान दिल्ली ले जाने के लिए दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ। पंजाब सीमा के भीतर धान लदी ट्रक जब्त की गई थी अतः धान का कोई निर्यात नहीं हुआ। आरोपी द्वारा केवल अपराध के लिए तैयारी की गई थी। यह इस तर्क पर आधारित था कि यह पूरी तरह संभव था कि आरोपी को चेतावनी दी गई हो कि उनके पास धान ले जाने का लाइसेंस नहीं है और उन्होंने दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से पहले किसी भी स्थान पर अपना मन बदल लिया हो। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यह केवल तैयारी थी और प्रयास नहीं था और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आदेश 1981 की धारा 3(1) के अनुसार, या तो निर्यात होना चाहिए या निर्यात का प्रयास होना चाहिए। इसी प्रकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, या किसी उल्लंघन में सहायता करता है, उसे आदेश का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो अपराध करने की तैयारी को दंडनीय बनाता हो। अतः अन्यथा भी अपीलार्थीगण के कार्य को केवल 'तैयारी' माना जा सकता है, न कि प्रयास और उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 या 3/8 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(14) अतः, मेरे विचार में, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता उद्ग्रहण आदेश 1981 की धारा 3(1) के अर्थ में धान का निर्यात करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंड के भागीदार होते।

(15) उपरोक्त कारणों से, अपील मंजूर की जाती है। अपीलार्थी क्र. 3 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। आक्षेपित निर्णय के कंडिका 28 में

प्रश्नगत धान के अधिग्रहण का आदेश भी अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी क्र. 3 द्वारा यदि किसी जुर्माने का भुगतान किया गया हो, वह उसे वापस किया जाए।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अनुवादक - प्रशांत पारख

Desclएimer – यह कि कंडिका 1 से 15 तक का अनुवाद **दी गई जानकारी केवल इंग्लिश भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।**

अनुवादक - प्रशांत पारख
अधिवक्ता
जिला न्यायालय जिला बालोद (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur